केवल कार्यालयीन उपयोग हेतु

दिनांक 30.10. 2019 को आयोजित संयुक्त/उप संचालकों की मासिक समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण।

आयोजित बैठक में सभी संयुक्त/उप संचालकों को निम्नानुसार निर्देश दिये गये–

कार्मिक शाखा :–

ई–मंडी अनुज्ञा अंतर्गत संभाग की मंडियों में आउट सोर्स से रखे गये डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों के माह जुलाई 2018 से जनवरी 2019 तक भोपाल संभाग की 11 मंडियों, उज्जैन संभाग की 08 मंडियों, ग्वालियर संभाग की 04 मंडियों, सागर संभाग की 07 मंडियों एवं जबलपुर संभाग की 02 मंडियों से राशि प्राप्त नहीं हुई है। मंडी सचिवों को निर्देशित किया गया कि वे तत्काल राशि जमा कराना सुनिश्चित करें।

माह जुलाई 2019 से वर्तमान तक किये गये स्थानांतरणों की भारमुक्ति/उपस्थिति की जानकारी तत्काल उपलब्ध कराने साथ ही जिन कर्मचारियों को भारमुक्त नहीं किया गया है उसका कारण सहित उनके नाम व पदस्थापना स्थल से मुख्यालय को अवगत कराने के निर्देश दिये गये।

राज्य शासन द्वारा दिनांक 26 अगस्त 2019 से लागू (संशोधन अधिनियम 2019) नवीन आरक्षण रोस्टर का पालन किये जाने के निर्देश दिये गये।

अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों में संभागवार जानकारी के अभाव में जबलपुर संभाग की तेन्दुखेडा मंडी से कु. संख्या गोटिया पुत्री स्व. श्री सोमनाथ कोल मंडी निरीक्षक का प्रकरण लंबित है। ऑचलिक कार्यालय जबलपुर को तथा सभी ऑचलिक अधिकारियों को जिनके पास अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरण लंबित है, को निर्देशित किया गया कि वे पूर्ण जानकारी मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।

सहायक उपनिरीक्षकों की परिवीक्षा अवधि समाप्त होना शेष है जिसकी सूची ऑचलिक अधिकारियों को उपलब्ध करा दी गई है। उक्त कर्मचारियों की पूर्ण जानकारी जैसे जाति प्रमाणपत्र, भर्ती का तरीका, नियुक्ति आदेश, जाति सत्यापन, शैक्षणिक योग्यता, चरित्र सत्यापन, ई.ओ.डब्ल्यू. विभा.जांच आदि की जानकारी मुख्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

भावातर भुंगतान योजना :–

वर्ष 2019 के कृषक समृद्वि योजना (गेहूँ) हेतु मंडियों में रखे गये डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों की पारिश्रमिक की प्रतिपूर्ति हेतु ऑचलिक अधिकारियों के माध्यम से प्रस्ताव चाहे गये थे। सातों संभागों से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार 59 मंडियों में 98 कम्प्यूटर डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के पारिश्रमिक की प्रतिपूर्ति ऑचलिक अधिकारियों प्रेषित किये गये है। भोपाल, उज्जैन, रीवा से पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये है जिन्हें उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

इसी प्रकार मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना वर्ष 2019 हेतु ऑचलिक कार्यालयों से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार भोपाल, सागर से पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये है। संभागों से प्राप्त जानकारी अनुसार 15 मंडियों में 18 कम्प्यूटर डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के पारिश्रमिक की प्रतिपूर्ति ऑचलिक अधिकारियों प्रेषित किये गये है। भोपाल, रीवा से पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये है जिन्हें उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। दोनो प्रकरणों में सत्यापित देयकों को प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।

खरीफ 2019 में उपार्जन/भावांतर हेतु मक्का, सोयाबीन, उडद, मूंग, अरहर, मूंगफली, कपास, तिल, रामतिल उपज के लिये दिनांक 03 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2019 तक कृषकों के

पंजीयन हो रहे है। सभी ऑचलिक अधिकारी एवं मंडी सचिव पूर्व की भांति आवश्यक व्यवस्थाएं कर ले विशेष रूप से सी.सी.टी.व्ही. कैमरे समुचित व्यवस्था करना सुनिश्चित करें।

भावांतर से संबंधित सी.एम. हेल्पलाईन में प्राप्त शिकायतों का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर निराकरण कराना सुनिश्चित करें। सी.एम. हेल्पलाईन के प्रकरणों के त्वरित निराकरण करने हेतु सभी सचिवों एवं नोडल सचिवों को समन्वय शाखा द्वारा पत्र लिखे जाने के निर्देश दिये गये। संभाग अन्तर्गत जिलेवार लंबित सी.एम. हेल्पलाईन के 371 प्रकरण लंबित है। रीवा संभाग को छोडकर शेष सभी ऑचलिक अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे तत्काल इन प्रकरणों का निराकरण कराकर मुख्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

विधानसभा के लंबित आश्वासन क्रमांक 205 की पूर्ति का प्रतिवेदन जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रेषित कराना सुनिश्चित करें। विधान सभा आश्वासन क्रमांक 205 में 26 जिला कलेक्टरों से पूर्ति का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। शेष जिलों से पूर्ति का प्रस्ताव प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।

सतर्कता शाखा :–

ऑचलिक कार्यालय भोपाल संभाग–28, इन्दौर संभाग–13, उज्जैन संभाग–11, ग्वालियर संभाग–41, सागर संभाग–47, जबलपुर संभाग–129 एवं रीवा संभाग–21 कुल 290 सामान्य शिकायतें, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो से प्राप्त शिकायत जबलपुर संभाग में 05, भोपाल में 01, सागर में 01 एवं ग्वालियर में 01 इस प्रकार कुल 08 शिकायतें, माननीय लोकायुक्त कार्यालय से प्राप्त शिकायत जबलपुर में 01, उज्जैन में 01 कुल 02 शिकायतें लंबित है। साथ ही जबलपुर संभाग से विधानसभा आश्वासन के 38 शिकायतों के जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। लंबित शिकायतों की जॉच प्राथमिकता के आधार पर की जाकर प्रतिवेदन अपने अभिमत सहित मुख्यालय भेजने के निर्देश दिये गये।

नियमन शाखा :–

आय एवं आवक की समीक्षा :– वित्तीय वर्ष 2017–18 की तुलना मे वित्तीय वर्ष 2018–19 मे मण्डी फीस आय मे वृद्धि हेतु 15 प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित किये गये थे जिन मण्डी समितियों की आय में 15 प्रतिशत की कमी परिलक्षित हुई है। उन मण्डी सचिवों के नाम, पदनाम, वर्तमान पदस्थापना की जानकारी अपने स्पष्ट अभिमत के साथ 30–09–2019 तक चाही गई थी, इस संबंध मे निरंतर निर्देश देने के बावजूद प्रतिवेदन अप्राप्त है। समस्त संयुक्त/उप संचालकों द्वारा दिनांक 15.11.2019 तक उक्त प्रतिवेदन उपलब्ध नही कराया जाने पर जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी।

नियमन शाखा के नये प्रपत्र मे जानकारी के संबंध मे :– प्रत्येक माह आंचलिक कार्यालय द्वारा मासिक समीक्षा बैठक हेतु नियमन शाखा को एजेण्डा उपलब्ध कराया जाता है जिमसे नियमन शाखा द्वारा कुछ प्रपत्र संशोधन किये गये है। उक्त अतिरिक्त अनुज्ञापत्रो प्रपत्र के साथ मे पूर्व मे जारी अनुज्ञा पत्र के प्रपत्र 12,13,14 एवं 15 मे पूर्वानुसार जानकारी नियमन शाखा को उपलब्ध कराई जावे।

गोशवारा के संबंध मे :– कृषि उपज मण्डी समितियों मे घोष निलामी के समय जारी अनुबन्ध प्रत्र इस माह उपलब्ध कराए गए एजेण्डे की जानकारी मे भोपाल संभाग 1799, उज्जैन संभाग, 1005, इन्दौर संभाग 295 एवं ग्वालियर संभाग के 248 अनुबन्ध पत्र निरस्त बताये गये है। इतनी अधिक संख्या मे अनुबन्ध पत्र मण्डियो मे निरस्त किये गये है उसकी वास्तविक स्थिति ज्ञात कर मुख्यालय को उपलब्ध कराये इस संबंध मे उक्त संभागो को पत्र भी जारी किया जा रहा है।

अन्तर्राज्जीय सीमा जांच चौकी के संबंध मे:– जिन कृषि उपज मण्डी समितियों के अन्तर्गत अन्तर्राज्जीय सीमा जांच चौकी स्थापित है। उन नाको पर आंचलिक कार्यालयो द्वारा पदस्थ किये गये कर्मचारियों को निर्देशित करे की उक्त नाके से कृषि उपज से लदे अवैध परिवहन करते हुये वाहनो की सघन चैकिंग कर पांच गुना मण्डी फीस के प्रकरण बनाये जाकर राजस्व प्राप्त करे।

डिफॉलटर फर्मो के संबध में :– जिन मण्डी समितियों के व्यापारियो द्वारा कृषको की कृषि उपज मे व्यतिक्रम होने से क्रय कर, कृषि उपज का भुगतान नहीं किया/किया जा रहा है, उक्त संबंध मे मण्डी समितियो द्वारा कृषको का भुगतान किस निधि से एवं किसके द्वारा किया गया है इसकी जानकारी निर्धारित प्रपत्र मे भेजे। साथ ही जिन मण्डी समितियो मे अभीतक कृषको का भुगतान नही हुआ है उसकी आंचलिक स्तर से जांच कर दोषी अधिकारी/कर्मचारियो का दोष निर्धारण करते हुये दोष सिद्ध होने पर उनके वेतन से राशि का कटौत्रा कर भुगतान करने की कार्यवाही का प्रस्ताव मुख्यालय को प्रेषित किया जावे।

विधानसभा आश्वासन के संबंध में :– विधानसभा प्रश्नो पर निर्मित आश्वासन जो विगत वर्षो से लंबित चले आ रहे है। जिसमे जबलपुर संभाग की कटनी मण्डी के 12–13 तथा इन्दौर संभाग की इन्दौर एवं धामनौद मण्डी के आश्वासन लंबित है। उक्त आश्वासनो की पूर्ति की जानकारी या अद्यतन जानकारी दिनांक 15.11.2019 तक आवश्यक रूप से उपलब्ध करायी जावे। विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1458 के प्रश्नांश ''घ'' की जानकारी तत्काल उपलब्ध कराई जाये।

एम.आई.एस.–

ई–अनुज्ञा पोर्टल क्रियान्वयन संबंधी –

अंचल की कुछ मण्डी समितियों के द्वारा दिनांक 01/08/2019 से 15/08/2019 की अवधि की ई–अनुज्ञा पोर्टल पर दर्ज पाक्षिकी में संशोधन/डिलीट की कार्यवाही करने का अनुरोध किया जा रहा है यह स्थिति ई–अनुज्ञा संचालन की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है जिससे वित्तीय अपवंचन की संभावना प्रबल होती है। अंचल की समस्त मण्डी समितियों के सचिव से उपरोक्त स्थिति की तत्काल समीक्षा/जांच कराकर समाधान की कार्यवाही अनिवार्य रुप से सुनिश्चित करें।

02/ कुछ मण्डी समितियों के द्वारा ई–अनुज्ञा पोर्टल पर थर्ड पार्टी ई–अनुज्ञा बनाने में त्रृटि की जा रही है अर्थात दो के मध्य संव्यवहार होने की स्थिति में द्वितीय के नाम का तृतीय में भी इंद्राज किया जा रहा है जबकि ''थर्ड पार्टी ई–अनुज्ञा बनने के संबंध में आपको कार्यालयीन पत्र क्रमांक/बी–6/नियमन/ई–अनुज्ञा/521/1227–1228 दिनांक 06/05/2019 से स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं का पालन अनिवार्य रुप से सुनिश्चित करें।

03/ कुछ मण्डी समितियों के द्वारा व्यापारियों के भुगतान पत्रक की प्रविष्टि तो की जा रही है परन्तु उनके सत्यापन में अनावश्यक विलम्ब किया जा रहा है। अतः भुगतान पत्रकों की प्रविष्टि ई–अनुज्ञा पोर्टल पर उसी दिन अनिवार्य रुप से पूर्ण करायें एवं मण्डी सचिव द्वारा त्वरित सत्यापन की कार्यवाही की जाये ताकि किसानों को उनकी उपज का यथा समय पूर्ण भुगतान होने की पुष्ठि मण्डी समिति द्वारा की जा सके।

04/ मण्डी समिति से त्रृटिपूर्ण जानकारी अथवा विसंगति दर्ज होने की स्थिति में ई–अनुज्ञा पोर्टल पोर्टल पर उसी दिन सुधार करने की सुविधा मण्डी सचिव के लॉगिन पर प्रदान की गई है। इसके लिये निर्धारित समय सीमा के उपरांत संशोधन/डिलीट की कार्यवाही मण्डी बोर्ड मुख्यालय स्तर से किये जाने संबंधी अनुरोध पत्र पर संबंधित मण्डी सचिव स्वयं अपने एवं मण्डी कर्मचारी के नाम एवं मोबाईल नंबर का स्पष्ट उल्लेख करते हुये भेजना सुनिश्चित करें।

05/ ई–अनुज्ञा पोर्टल से जारी ई–अनुज्ञा पत्रों के दैनिक प्रिंट आउट एवं संबंधित रिपोर्टस की एक–एक प्रति आवश्यक रुप से मण्डी रिकार्ड में संधारित कर सुरक्षित रखी जाये। ई–अनुज्ञा पोर्टल पर उपलब्ध स्वतः जनित मण्डी फीस, प्राप्त अग्रिम, निराश्रित सहायता राशि, व्यापारीवार वास्तविक स्कंध सहित अन्य रिपोर्टस की दैनिक प्राप्ती सुनिश्चित कर मॉनिटरिंग की जाये।

06/ ई–अनुज्ञा पोर्टल पर कार्य सुविधा की दृष्टि से व्यापारियों द्वारा जारी भुगतान पत्रक संबंधी एक्सेल शीट पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है जिसका उपयोग कर मण्डी समिति एवं व्यापारी अपने अपने लॉगिन आई.डी. के माध्यम से भुगतान पत्रकों की जानकारी एक्सेल शीट में सीधे अपलोड कर सकेंगे। अतः दैनिक कार्य संचालन में इसका उपयोग सुनिश्चित करें।

07/ मण्डी के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों के द्वारा प्रतिदिन बिलों के आधार पर छोटी–छोटी मात्रा में कृषि उपज तो विक्रय की जा रही है परन्तु उसकी प्रविष्टि यथा जानकारी ई–अनुज्ञा पोर्टल पर दर्ज नहीं की जा रही है। जिसके कारण विक्रय स्कंध उपरांत वास्तविक स्कंध अद्यतन नहीं हो रहा है। अतः अंचल की मण्डी समितियों से यह जानकारी नियमित रुप से ई–अनुज्ञा पोर्टल पर दर्ज कराई जाना सुनिश्चित करें।

08/ मण्डी समितियों के द्वारा राज्य के बाहर के लिये जारी ई–अनुज्ञा पत्र के सत्यापन कार्य में विलम्ब किया जा रहा है। जिसके कारण यह ज्ञात नहीं हो पा रहा है कि जारी ई–अनुज्ञा संबंधित अंतर्राज्यीय सीमा जांच चौकी पर प्राप्त हुई है अथवा नहीं? अतः राज्य के बाहर की ई–अनुज्ञा सत्यापन कार्य में तेजी लाई जाये।

09/ ई–अनुज्ञा पोर्टल पर समस्त आंचलिक प्रभारियों एवं मण्डी सचिव को दैनिक मॉनिटरिंग करने के लिये ई–अनुज्ञा पोर्टल पर आवश्यक रिपोर्टस का क्रियेशन किया जाकर समावेश किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य पंजी/रिपोर्टस की आवश्यकता महसूस की जा रही है तो उसके स्वरुप का निर्धारण कर प्रपत्र भिजवायें।

10/ अंचल की जिन मण्डियों/व्यापारियों के द्वारा ई–अनुज्ञा बनाने के उपरांत अनुरोध कर उसमें संशोधन/डिलीट की कार्यवाही करवाई गई है, की अद्यतन सूची आपको संलग्न भेजी जा रही है को संज्ञान में लेते हुये सभी आंचलिक प्रभारी एवं मण्डी सचिव स्थिति का सुक्ष्मता से आंकलन/मिलान/जांच की कार्यवाही अनिवार्य रुप से सुनिश्चित करेंगे ताकि किसी प्रकार की वित्तीय संहिता का उल्लंघन यथा अपवंचन की स्थिति निर्मित नहीं हो।

एगमार्कनेट–

भारत सरकार की एगमार्कनेट परियोजना अन्तर्गत प्रदेश के 293 नोडस अन्तर्गत माह सितम्बर 2019 में डाटा रिपोर्टिंग करने वाली मंडी समिति की समीक्षा की गयी जिसमें 21 से 30 दिवस में डाटा रिपोर्टिंग करने वाली मंडियों की संख्या 184 रही है तथा 11 से 20 दिवस की डाटा रिपोर्टिंग करने वाली मंडियों की संख्या 63 रही है। साथ ही भोपाल संभाग अन्तर्गत मंडी समिति गुलाबगंज, जीरापुर, माचलपुर एवं सुठालिया। इन्दौर संभाग अन्तर्गत मंडी समिति मनावर, उज्जैन संभाग अन्तर्गत मंडी समिति भानपुरा, ग्वालियर संभाग अन्तर्गत मंडी समिति बानमोरकला एवं भिण्ड (फल–सब्जी), सागर संभाग अन्तर्गत मंडी समिति निवाडी (फल–सब्जी) एवं शाहगढ, जबलपुर संभाग अन्तर्गत मंडी समिति, बालाघाट (फल–सब्जी), कटनी (फल–सब्जी), लखनादौन (फल–सब्जी), पार्ढुना (फल–सब्जी), सौसर (फल–सब्जी), सीहोरा (फल–सब्जी) एवं शहपुरा भिटौनी (फल–सब्जी) द्वारा माह में एक भी दिवस की डाटा रिपोर्टिंग नहीं की गयी है। उक्त संबंध में संबंधित ऑचलिक अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये जाकर उपरोक्त मंडियों में डाटा रिपोर्टिंग आवश्यक रूप से किये जाने के निर्देश दिये गये।

ई–नेम –

1. राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) योजना अंतर्गत माह में कम से कम 20 कृषकों का भुगतान (e-NAM) पोर्टल पर पेमेन्ट गेटवे से अनिवार्य रूप से किये जाने हेतु समस्त मण्डी सचिवों को निर्देश दिये जाना है। इस संबंध में आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के संभागीय प्रमुख श्री मनीष माथुर मोबाइल नंबर 9752096457 एवं श्री मनीष कुमार बादल स्टेट को आर्डिनेटर (N.F.C.L.) मोबाइल नंबर 9079049144 से संपर्क कर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

2. राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना के क्रियान्वयन की प्रगति का विवरण पत्रक (Chart) संलग्न है। विवरण पत्रक (Chart) अनुसार संबंधित मण्डियों को निर्देश दिये गये।

3. मण्डियों द्वारा (e-NAM) पोर्टल पर चयनित जिन्सों का व्यापार शत–प्रतिशत ई–नेम पर किये जाने के निर्देश दिये जाना है। चयनित जिन्सों की आवक नहीं होने पर अन्य जिन्सों की कुल आवक का 25% अनिवार्य रूप से (e-NAM) पोर्टल पर ऑनलाईन ट्रेडिंग की पूर्ण कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

4. "राष्ट्रीय कृषि बाजार" e-NAM पोर्टल पर ऑनलाईन व्यापार किये जाने के संबंध में मण्डी स्तर पर FPOs/FPCs को मण्डी अनुज्ञप्ति स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दिये गये।

5. इन्टरमण्डी (Inter mandi) ऑनलाईन ट्रांजेक्शन के लिये मण्डी में e-NAM पोर्टल पर पंजीकृत समस्त व्यापारियों के ऑन–लाईन व्यापार एवं ई–प्लेटफार्म अनुज्ञप्ति (Unified Licence) स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

6. (e-NAM) योजना में जोड़ी गई 25 मण्डियों में (e-NAM) योजना के क्रियान्वयन हेतु कम्प्यूटर आदि उपकरण मण्डी बोर्ड मुख्यालय स्तर से क्रय किये जाने की कार्यवाही के अंतर्गत फर्मों को कार्यादेश जारी किये गये हैं। मण्डी सचिवों द्वारा फर्म द्वारा प्रदाय की जाने वाली सामग्रियॉ प्राप्त कर उपकरणों का इन्सटालेशन कराया जाकर उपकरण पूर्ण रूप से कार्य करने के उपरांत ही कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये।

7 उप संचालक आंचलिक कार्यालय इंदौर को CCI इंदौर से व्यक्तिगत संपर्क किया जाकर समर्थन मूल्य पर COTTON खरीदी का प्रावधान के बारे में जानकारी प्राप्त करने के निर्देश दिये गये।

8. उप संचालक आंचलिक कार्यालय इंदौर को मनावर कृषि उपज की उपमण्डी सिंघाना एवं बाकानेर तथा बड़वाह कृषि उपज मण्डी की उपमण्डी बागौद में ई–नाम प्रारंभ किए जाने में असमर्थता व्यक्त किये जाने के कारण उक्त उपमण्डियों के स्थान पर मण्डी समिति मनावर एवं इन्दौर संभाग की ऐसी अन्य दो मण्डी समितियॉ जहॉ यह योजना संचालित की जा सके, उन मण्डी समितियों की डीपीआर प्रेषित किये जाने के संबंध में निर्देश दिए गये।

अंत में धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक संपन्न हुई।

(अशोक कुमार वर्मा) 4/11/19
प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/समन्वय/पार्ट-4/1083 भोपाल, दिनांक 04/11/2019

प्रतिलिपि :–

01. निज सहायक प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
02. अपर संचालक/प्रमुख अभियंता/संयुक्त संचालक/अधीक्षण यंत्री/उप संचालक/लेखाधिकारी (समस्त) मण्डी बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
03. संयुक्त/उप संचालक (समस्त) म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, ऑचलिक कार्यालय,.............
04. सचिव, कृषि उपज मंडी समिति, ...

4/11/19
प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल